



2026:AHC-LKO:14950-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - ए संख्या - 2168 सन 2026

भारत संघ द्वारा सचिव रक्षा मंत्रालय सेना नई दिल्ली
एवं 3 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

क्रमांक 4181083 एफ पूर्व नाइक (टीएस) सुल खान

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : महेंद्र कुमार मिश्रा

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय

माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री महेंद्र कुमार मिश्रा का कहना है कि न्यायाधिकरण के निर्णय का अनुपालन किया जा चुका है, इसलिए यह याचिका निष्प्रभावी हो गई है। वे इस रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं और इस संबंध में मध्य प्रदेश उपक्षेत्र, उच्च न्यायालय के कार्यवाहक विधि प्रकोष्ठ के मेजर द्वारा दिनांक 23.02.2026 को जारी पत्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है।
2. यह निर्देश अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है।
3. याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

फ़रवरी 24, 2026

अनुज सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।